



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223323  
CG-DL-E-26112020-223323

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 525] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942  
No. 525] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

---

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा.सं.पीएनजीआरबी/वाणि./1-सीजीडी टैरिफ(1)/2015 (पी-2750).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड 2006 (19 का 2006) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:**

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. परिभाषाएं:-**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19);

- (ख) "प्राधिकृत संस्था" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में परिभाषित अनुसार अर्थ होगा;
- (ग) "बोर्ड" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है;
- (घ) "संस्था" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (त) में परिभाषित अनुसार होगा;
- (ड.) "अनुसूची" का अर्थ इन विनियमों की अनुसूची से है;
- (च) "सीजीडी के लिए परिवहन दर" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (झग) में परिभाषित अनुसार अर्थ होगा;
- (छ) "सीएनजी के लिए परिवहन दर" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (झघ) में परिभाषित अनुसार अर्थ होगा;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः ऐसे अधिनियम, नियमों या विनियमों में उन्हें निर्दिष्ट अर्थ होगा।

### 3. अनुप्रयोग:

(1) ये विनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2020 के संदर्भ में सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिकृत संस्था पर लागू होंगे:

- (क) जिसका प्राधिकार केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 17 के तहत स्वीकार कर लिया गया है,
- (ख) जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 18 के तहत अधिकृत किया गया है; और
- (ग) जिसे अधिनियम की धारा 42 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देश के अनुसरण में अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिकृत किया गया है;

बशर्ते कि ये विनियम उस संस्था पर सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तत्काल लागू होंगे, जिसे सामान्य या संविदा वाहक के दायरे से विशिष्टता प्रदान नहीं की गई है।

(2) बोली मार्ग के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के तहत अधिकृत सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी नेटवर्क के लिए परिवहन दर का बोली के माध्यम निर्धारण किया जाएगा।

### 4. सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण तथा सूचना की वेबहोस्टिंग:-

- (1) ऐसी अधिकृत संस्था जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उस महीने के अंतिम दिन से पांच महीने के भीतर जिसमें सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित किया गया है, बोर्ड द्वारा ऐसी दरों के निर्धारण के उद्देश्य से अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार परिकलित सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर प्रस्तुत करेगी जो अनुसूची के पैरा 6 के उप-खंड (1) के अनुसार प्रारंभिक अवधि के दौरान लागू होगी।
- (2) ऐसी अधिकृत संस्था जिस पर ये नियम लागू होते हैं, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से सात महीने की अवधि के भीतर जिसमें बोर्ड द्वारा परिवहन दरें निर्धारित की गई हैं, बोर्ड द्वारा ऐसी दरों के निर्धारण के उद्देश्य से अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार परिकलित सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर प्रस्तुत करेगी जो अनुसूची के पैरा 6 के उप-खंड (1) के अनुसार बाद की अवधि के दौरान लागू होगी।
- (3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकृत संस्था, उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, बोर्ड को ऐसी परिवहन दरें जैसा कि उसके द्वारा इंटरएक्टिव स्प्रेडशीट गणना मॉडल (सूत्रों सहित) द्वारा गणना की गई है, प्रारूप में विधिवत भरकर और अनुसूची के अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण-पत्र के रूप में प्रस्तुत करेगी।
- (4) प्राधिकृत संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर परिवहन दरों की प्रस्तुति के आधार पर एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें बोर्ड इंटरएक्टिव स्प्रेडशीट गणना मॉडल (सूत्रों सहित), विधिवत भरे गए प्रारूप और अनुसूची के अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण-पत्र सहित सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर की गणना के लिए हितधारकों के परामर्श हेतु सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज शामिल होगा।
- (5) हितधारक वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा कि बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाए, लिखित रूप में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रदान की गई अवधि की समाप्ति पर, बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों को संबंधित अधिकृत संस्था को उनकी समीक्षा के लिए अग्रेषित करेगा और पंद्रह दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। यदि बोर्ड आवश्यक समझे, तो एक ओपन हाउस बैठक बुला सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हितधारकों को आमंत्रित किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और संबंधित अधिकृत संस्था को चर्चा के लिए बुला सकता है। बोर्ड उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद और इस प्रकार एकत्रित सभी जानकारी पर विचार करने के बाद, सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का आदेश निर्धारित करेगा जो अनुसूची के पैरा 6 के उप-खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान लागू हो या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि बोर्ड द्वारा आदेश दिया जाए और उसे अपनी वेब-साइट पर प्रकाशित किया जाए।

#### 5. चूक:-

अधिनियम के अन्य प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के लागू होने या किसी अन्य कानून के लागू होने के बावजूद, जो इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कोई भी चूक अधिनियम की धारा 28 के तहत सिविल दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

#### 6. विविध:

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

#### 7. निरसन:-

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण और सीएनजी के लिए संपीड़न प्रभार) विनियम, 2008 को एतद्वारा, इस प्रकार निरस्त किए गए विनियमों के तहत की जाने वाली कार्रवाई या लोप को छोड़कर, निरस्त किया जाता है।

## अनुसूची

### [देखें विनियम 4]

#### सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर (या परिवहन दरों) के निर्धारण की पद्धति

प्राधिकृत संस्था, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, इस अनुसूची और इससे संबद्ध अनुलग्नकों में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर सीजीडी नेटवर्क में सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर की गणना करेगी और उसे प्रस्तुत करेगी, जिसमें इस अनुसूची के पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रतिलाभ की दर पर नियोजित पूंजी के मानक स्तर और उस सीजीडी नेटवर्क पर परिचालन व्यय के मानक स्तर पर विचार किया जाएगा। "मानक स्तर" अभिव्यक्ति एक स्तर के संदर्भ में होगी, जो संबंधित सीजीडी नेटवर्क को कुशलतापूर्वक बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए अपेक्षित पूंजी और परिचालन व्यय के संदर्भ में उचित और न्यायसंगत है।

#### 1. लागत और वित्तीय डेटा:

- (1) जिस संस्था पर ये नियम लागू होते हैं, वह लेखा-परीक्षित किए गए वार्षिक लेखाओं और अन्य तकनीकी विवरणों और आंकड़ों के आधार पर सीजीडी नेटवर्क के सभी तकनीकी, परिचालन, वित्तीय और लागत डेटा को ध्यान में रखते हुए आरंभिक अवधि के लिए पिछले दो नवीनतम वित्तीय वर्षों और उसके बाद की अवधियों के लिए पिछले तीन नवीनतम वित्तीय वर्षों पर विचार करते हुए औसत परिवहन दरों की गणना करेगी। नवीनतम लागू वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी दरों की गणना इस अनुसूची में अनुलग्नक 1(ज) में निर्दिष्ट प्रारूप में अधिकृत संस्था के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
- (2) अधिकृत संस्था प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में अलग-अलग वित्तीय और लागत विवरण तैयार करेगा, जिस पर ये नियम लागू होते हैं और इन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों से लेखा-परीक्षित कराएगा। अधिकृत संस्था प्रत्येक सीजीडी नेटवर्क (उन संस्थाओं सहित जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं) के लिए अलग से दरों की गणना के लिए और अधिकृत संस्था की प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक तकनीकी और मात्रात्मक आंकड़े रखेगी। अलग-अलग सीजीडी नेटवर्क (उन संस्थाओं सहित जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं) के लिए अप्रत्यक्ष पूंजी और राजस्व लागत की बुकिंग, विभाजन और आवंटन, तथा गतिविधियों को उचित, संगत और सुसंगत तरीके से चलाया जाएगा, जिसका विस्तृत टिप्पणियाँ द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

#### 2. परिवहन दरों के निर्धारण की पद्धति

- (1) परिवहन दरों की गणना "सेवा की लागत" कार्यप्रणाली<sup>1</sup> के आधार पर की जाएगी, जिसे नियोजित पूंजी पर बारह प्रतिशत की कर पश्चात् मानक प्रतिलाभ दर पर विचार करते हुए नीचे दिए गए 3 पैरा में निर्दिष्ट अनुसार निकाला जाएगा।
- (2) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की कर-पूर्व दर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट आकलन के लिए आयकर की नाममात्र लागू दर से बारह प्रतिशत की प्रतिलाभ दर जोड़कर की जाएगी।

स्पष्टीकरण - संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकृत संस्था के पास आयकर से संबंधित कानून के तहत आयकर की एक से अधिक नाममात्र दरों का विकल्प उपलब्ध है, तो आयकर की ऐसी नाममात्र दरों में से सबसे कम दर को नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की कर-पूर्व दर की गणना के लिए बारह प्रतिशत की कर पश्चात् प्रतिलाभ दर को जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

#### 3. निवल अचल परिसंपत्तियां और मानकीय कार्यशील पूंजी:

- (1) किसी सीजीडी नेटवर्क में निवल अचल परिसंपत्तियों को निम्नलिखित के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा -

<sup>1</sup> सेवा कार्यप्रणाली की लागत में एक यूनिट मुआवजे की दर परिचालन लागत + मूल्यहास + निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ जिसमें निवल अचल परिसंपत्तियों और व्यवसाय में नियोजित मानकीय कार्यशील पूंजी शामिल है।

- (क) सीजीडी नेटवर्क में सामान्य बुनियादी ढांचा (अर्थात् पाइपलाइन, यदि कोई हो, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में टैप-ऑफ प्वाइंट से सिटी गेट स्टेशन, सिटी गेट स्टेशन, सिटी गेट वितरण नेटवर्क तक पाइपलाइनें शामिल हों, लेकिन इसमें सीएनजी कंप्रेशन और वितरण से संबंधित उपकरण और सुविधाएं शामिल न हों), सीएनजी नेटवर्क के लिए परिवहन दर के निर्धारण के लिए अनुलग्नक 1(क) और 1(ग) में निर्दिष्ट अनुसार होगा;
- (ख) सीएनजी की परिवहन दर के निर्धारण के लिए सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी स्टेशनों में वितरण हेतु प्राकृतिक गैस के सीएनजी में कंप्रेशन के लिए अपेक्षित अनुलग्नक 1(ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार इनलेट वॉल्व से डिस्चार्ज फ्लेज के बीच सीएनजी कंप्रेसर और उपकरण।
- (ग) अचल परिसंपत्ति में निवेश का उपचार अनुलग्नक 2 में दर्शाए गए आधार के अनुसार होगा।
- (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 14 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं से सीजीडी संस्था द्वारा जमा की गई प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि पूंजीगत व्यय के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
- (ङ.) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 14 के उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार गैर-घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं से सीजीडी संस्थाओं द्वारा एकत्र की गई प्रतिभूति सुरक्षा जमा प्रतिदेय राशि को पूंजीगत व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- (च) सीजीडी संस्था द्वारा किसी पीएनजी ग्राहक से कनेक्टिविटी या उपकरण या स्थापना शुल्क के लिए ली गई किसी भी अप्रतिदेय राशि को पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय, जैसा कि मामला हो, में समायोजित किया जाएगा।
- (2) निवल अचल परिसंपत्तियाँ संचित मूल्यहास को घटाने के बाद सकल अचल परिसंपत्तियों के बराबर होंगी।
- (3) सकल अचल परिसंपत्तियाँ अधिग्रहण की उनकी वास्तविक ऐतिहासिक लागत के बराबर होगी (किसी भी बाद के प्रतिस्थापन या सुधार या आशोधन की लागत सहित लेकिन पूंजीकृत ऋण पर ब्याज लागत के घटक को छोड़कर) या बोर्ड द्वारा निम्न आधार और सिद्धांतों<sup>2</sup> के अनुसार किया गया आकलन, जो भी कम हो, को एक कुशल और सुदृढ़ सीजीडी अवसंरचना बनाने के लिए आवश्यक माना जाए, अर्थात्:-
- क) सर्वोत्तम परियोजना प्रबंधन सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करने वाली समान परियोजनाओं में पूंजीगत लागत, जो सीजीडी नेटवर्क विछाने, निर्माण या विस्तार के दौरान एक ही समय में खर्च की गई हों;
- ख) अधिकतम स्वीकार्य प्रचालन दबाव के संबंध में पाइपलाइन डिजाइन और प्रचालन सिद्धांत की उपयुक्तता;
- ग) उपयुक्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आकलन के आधार पर आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं (सीएनजी कम्प्रेसर, पैमाइश प्रणाली, एससीएडीए, अग्निशमन उपकरण, आदि के लिए ऑनलाइन कम्प्रेसर) का अनुकूलन;
- घ) उपकरण के डिजाइन मापदंड, जैसे, सीएनजी के लिए कम्प्रेसर;
- ङ.) सीजीडी नेटवर्क में प्रमुख उपकरणों - पाइपलाइनों, ऑनलाइन कंप्रेसर, विछाने या निर्माण की लागत, परियोजना प्रबंधन परामर्श, पूर्व-संचालन व्यय, आदि की लागत का आकलन

<sup>2</sup> यहां पहचाने गए आधार और सिद्धांत संपूर्ण नहीं हैं और विचाराधीन विशिष्ट सीजीडी नेटवर्क के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

- (4) सामान्य कार्यशील पूंजी तीस दिनों की मानक परिचालन लागत (मूल्यहास को छोड़कर) और अठारह दिनों की परिवहन दर प्राप्ति के बराबर होगी।

#### 4. परिचालन लागत और मूल्यहास।

(1) परिचालन और रखरखाव में आवश्यक परिचालन लागत<sup>3</sup> -

(क) सीजीडी नेटवर्क में सामान्य बुनियादी ढांचा; और

(ख) सीएनजी में प्राकृतिक गैस को संपीडित करने के लिए कंप्रेसर सुविधाओं की गणना सीजीडी के लिए परिवहन दर के निर्धारण हेतु और सीएनजी के लिए परिवहन दर के निर्धारण में वास्तविक आधार पर या बोर्ड द्वारा मानक मूल्यांकन के आधार पर, जो भी कम हो, की जाएगी जिसमें निम्न लागत तत्व शामिल होंगे, अर्थात्: -

(i) उपभोग्य;

(ii) उपयोगिताएं (विजली, ईंधन और पानी);

(iii) वेतन और मजदूरी;

(iv) मरम्मत और रखरखाव;

(v) अचल परिसंपत्तियों और लाइन-पैक मात्रा (लाभ के नुकसान को छोड़कर) पर बीमा प्रीमियर;

(vi) प्रशासनिक उपरिशीर्ष (संबंधित उप-खंड (i) से (v) के तहत वर्गीकृत न हो, और प्रचालनों के स्तर के भी अनुरूप हो);

(vii) विविध आय (किसी अचल परिसंपत्ति से वसूली योग्य या किसी व्यय में से जिसे परिचालन लागत के रूप में माना जाता है), यदि कोई हो, को परिचालन लागत से समायोजित किया जाएगा। सीजीडी नेटवर्क में सुविधाओं के उपयोग में से सीजीडी और सीएनजी के लिए परिवहन दरों से प्राप्त किसी अचल या अन्य परिसंपत्ति या राजस्व आय की ब्याज आय, बिक्री या हस्तांतरण पर लाभ या हानि पर विविध आय के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

#### (2) मूल्यहास:

अचल परिसंपत्ति पर मूल्यहास को नीचे दर्शाए अनुसार विचार किया जाएगा -

- (क) पाइपलाइनों के लिए - मूल्यहास को 5% के अवशेष मूल्य के साथ एसएलएम आधार पर 30 वर्ष के उपयोगी जीवन पर विचार किया जाएगा। जहां मूल्यहास को लेखा-परीक्षित लेखा बही में अन्य किसी ढंग से मूल्यहास प्रदान किया गया है, वहां मूल्यहास और संबंधित निवल अचल परिसंपत्तियों को परिवहन दरों का निर्धारण करते समय फिर से बनाया जाएगा।

<sup>3</sup> परिचालन लागत वे हैं जो सीजीडी नेटवर्क (सीएनजी के लिए कंप्रेसर सहित) के प्रचालन के लिए सृजित मूल परिसंपत्ति के समुचित रखरखाव और देखभाल के लिए आवश्यक हैं और इसमें कोई वित्तीय लागत शामिल नहीं है, जैसे, ऋण पर ब्याज, अशोध्य ऋण, पूंजी/ डिबेंचर/ बॉन्ड/ ऋण जुटाने या सेवा के लिए किए गए व्यय, या किसी वित्तपोषण या किसी उधार, बिक्री संवर्धन खर्च, विपणन व्यय, विज्ञापन खर्च (कार्यकलापों सहित निविदाएं आमंत्रित करने को छोड़कर), दान, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय, जुर्माना, दण्ड या बैंक गारंटी के आह्वान या साख-पत्र से जुड़ी कोई भी लागत, लेकिन जिसमें प्राधिकार की शर्तों के अनुसार सामान्य बैंक प्रभार, बैंक गारंटी प्रभार, एलसी प्रभार, आवेदन शुल्क और बोली बांड के लिए बैंक प्रभार और निष्पादन बांड शामिल है।

(ख) सीएनजी कंप्रेसरों के लिए - मूल्यहास को 5% के अवशेष मूल्य के साथ एसएलएम के आधार पर 10 वर्ष के उपयोगी जीवन पर विचार किया जाएगा। जहां मूल्यहास को लेखा-परीक्षित लेखा बही में अन्य किसी ढंग से मूल्यहास प्रदान किया गया है, वहां मूल्यहास और संबंधित निवल अचल परिसंपत्तियों को परिवहन दरों का निर्धारण करते समय फिर से बनाया जाएगा।

(ग) अन्य परिसंपत्तियों के लिए - मूल्यहास को लेखा परीक्षित बही खातों के अनुसार माना जाएगा।

**टिप्पण:** चूंकि अनुमोदित ड्राइंग (न्यूनतम सांविधिक पृथक्करण दूरी के आधार पर) के अनुसार सिटिंग सीएनजी कंप्रेसर के लिए भूमि से इतर भूमि की लागत तथा संबंधित उपकरणों और सुविधाओं के लिए 15% अतिरिक्त भूमि पर सीएनजी के लिए परिवहन दर के निर्धारण हेतु नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में विचार नहीं किया जाता है, तो किसी भी भूमि के किराए या भूमि पट्टा के लिए भूमि से इतर भूमि हेतु सीएनजी कंप्रेसर को अनुमोदित ड्राइंग (न्यूनतम वैधानिक पृथक्करण दूरी के आधार पर) के अनुसार तथा संबंधित उपकरणों और सुविधाओं के लिए 15% अतिरिक्त भूमि को सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण करने की परिचालन लागत के रूप में नहीं माना जाएगा।

### 5. परिवहन दरों के निर्धारण में विचार की जाने वाली मात्रा।

- (1) सीजीडी के लिए यूनिट परिवहन दर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए विभाजक के रूप में उपयोग किए जाने वाली मात्रा प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा (सीएनजी के लिए पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाई गई प्राकृतिक गैस की मात्रा सहित) इसी अवधि के दौरान सीजीजी नेटवर्क में परिवहन के बराबर होगी।
- (2) सीएनजी के लिए यूनिट परिवहन दर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए विभाजक के रूप में उपयोग की जाने वाली मात्रा इसी अवधि के दौरान सीएनजी के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा के बराबर होगी।

### 6. परिवहन दरों के लिए समीक्षा अवधि।

- (1) प्रारंभिक अवधि के लिए परिवहन दर उस महीने के आधार पर तीन से कम या अधिक वित्तीय वर्ष के लिए लागू हो सकती है, जिसके दौरान सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किया गया है। बाद की अवधि के लिए, परिवहन दरों को प्रारंभिक अवधि के तत्काल बाद तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में उदाहरण अनुलग्नक 3 में दिया गया है।
- (2) इन विनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होने के बावजूद, बोर्ड कभी भी परिवहन दरों को संशोधित कर सकता है, जो केवल निम्नलिखित परिस्थितियों तक सीमित नहीं है:
  - i) कार्यशील पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली आयकर की लागू नाममात्र दर में परिवर्तन;
  - ii) अचल परिसंपत्ति या कार्यशील पूंजी, परिचालन लागत या मात्रा सहित परिवहन दरों के निर्धारण से संबंधित मापदंडों में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन;
- (3) उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी परिस्थितियों में, बोर्ड अधिकृत संस्था को बोर्ड को परिवहन दरों की गणना करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और प्राधिकृत संस्था तदनुसार बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगी और ऐसे संशोधन के लिए विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उप-विनियम (2) के प्रावधानों को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू किया जाएगा।

अनुलग्नक 1  
[देखें विनियम 4]

अचल परिसंपत्तियां और मूल्य ह्रास के लिए भौगोलिक क्षेत्र का वित्त वर्ष-वार सार

भौगोलिक क्षेत्र का नाम -----इकाई का नाम -----वित्तीय वर्ष -----

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	कुल लागत	मूल्यह्रास की दर (%)	वर्ष की शुरुआत में सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़/ विलोपन	वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	वर्ष के प्रारंभ में निवल ब्लॉक	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक	वर्ष के लिए औसत निवल ब्लॉक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)+(8)-(9)	(11) = (4)-(7)	(12) = (6)-(10)	(13) = ((11)+(12))/2
क	गेट सिटी स्टेशन [अनुलग्नक 1(क) के अनुसार]											
ख	सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर्स [अनुलग्नक 1(ख)] के अनुसार											
ग	सिटी गैस वितरण [अनुलग्नक 1(ग) के अनुसार]											
	कुल											
घ	सामान्य परिसंपत्तियां (पूर्ण ब्यौरा एक अलग विवरण में दिया जाए)*											
ड.	गैर-विनियमित परिसंपत्तियां (पूर्ण ब्यौरा एक अलग विवरण में दिया जाए)											
च.	कुल समायोजित तुलन-पत्र											

टिप्पण: 1. बही खातों के अनुसार मूल्यह्रास में अंतर और इन विनियमों में प्रदान किए गए आधार के अनुसार अलग-अलग सामंजस्य स्थापित किया जाए।

2.(\*). विभिन्न सीजीडी नेटवर्क, विनियमित और गैर-विनियमित गतिविधियों और सीजीडी की परिवहन दर के लिए विनियमित गतिविधियों के बीच और सीएनजी के लिए परिवहन दर को विस्तृत गणना के साथ दर्शाया जाए।



## अनुलग्नक 1 (क)

[विनियम 4 देखें]

## वित्तीय वर्ष-वार अचल परिसंपत्तियां और मूल्यहास – सिटी गेट स्टेशन

भौगोलिक क्षेत्र का नाम -----संस्था का नाम ----- वित्तीय वर्ष-----

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का प्रकार (मूल्यहास दर वार)	मूल्यहास-दर (%)	वर्ष की शुरुआत में सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान सकल ब्लॉक जोड़/विलोपन	वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यहास	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के प्रारंभ में निवल ब्लॉक	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक	वर्ष के लिए औसत निवल ब्लॉक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)- (9)	(11)= (4)-(7)	(12)= (6)-(10)	(13)= ((11)+(12))/2
क	भूमि											
	भूमि की लागत (केवल सीजीएस की सिटिंग के लिए)											
	क्षेत्र (वर्ग मीटर/फीट में)											
	भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर/फीट)											
	राशि मद -क											
ख	भवन											
ग	संयंत्र और मशीनरी											
घ	सभी संबंधित परिसंपत्तियां											
ड.	कुल (क + ख + ग + घ)											

## टिप्पणियाँ:

1. भूमि के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर चालू वित्त वर्ष के लिए संचित मूल्यहास और मूल्यहास की गणना लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखाओं के आधार पर की जाएगी।
2. प्रत्येक परिसंपत्ति का पूरा विवरण अलग-अलग शीट में दिया जाए।

अनुलग्नक 1(ख)  
[विनियम 4 देखें]

वित्तीय वर्ष-वार अचल परिसंपत्तियां और मूल्यहास - सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर्स

भौगोलिक क्षेत्र का नाम -----संस्था का नाम -----वित्तीय वर्ष -----

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का प्रकार (मूल्यहास दर वार)	मूल्यहास-दर (%)	वर्ष की शुरुआत में सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान सकल ब्लॉक जोड़/विलोपन	वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यहास	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास	वर्ष के प्रारंभ में निवल ब्लॉक	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक	वर्ष के लिए औसत निवल ब्लॉक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)- (9)	(11)= (4)-(7)	(12)= (6)-(10)	(13)= ((11)+(12))/2
क	भूमि											
1	लागत भूमि (अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सिटिंग ऑनलाइन कंप्रेसर्स के लिए और संबंधित उपकरणों और सुविधाओं के लिए 15% अतिरिक्त भूमि)											
	क्षेत्र (वर्ग मीटर/ फीट में)											
	भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर/ फीट)											
	कुल - मद क											
ख	भवन											
ग	ऑनलाइन कंप्रेसर्स											
घ	अन्य संयंत्र और मशीनरी											
ड.	सभी संबंधित परिसंपत्तियां											
च.	कुल (क + ख + ग + घ+ड.)											

टिप्पणियाँ:

1. विचार की जाने वाली कंप्रेसर्स सुविधाओं में फ्लैग को डिस्चार्ज करने के लिए इनलेट वाल्व के बीच ऑनलाइन कंप्रेसर्स और उपकरण शामिल होंगे।



	दिया जाए)											
	उप-योग - क											
ख	मार्गाधिकार/ उपयोग का अधिकार											
ग	भूमि											
घ	लाइन पैक											
ड.	सभी संबंधित परिसंपत्तियां (ब्यौरा दिया जाए)											
	कुल (क + ख + ग + घ+ड.)											

1. पाइपलाइनों में सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर हेतु प्राकृतिक गैस के परिवहन की पाइपलाइन शामिल हैं।
2. 5% के अवशिष्ट मूल्य के साथ 30 वर्ष की एसएलएम आधार की उपयोगिता पर विचार करके गणना की जाने वाली पाइपलाइनों पर संचित मूल्यह्रास।

अनुलग्नक 1(घ)(i)  
[देखें विनियम 4]

वित्तीय वर्ष-वार परिचालन लागत का प्रारूप

भौगोलिक क्षेत्र का नाम -----

संस्था का नाम -----

वित्तीय वर्ष -----

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	लागत तत्वों का विवरण	सीजीडी (सिटी गेट स्टेशन सहित)	सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर	कुल
क	परिवर्तनीय लागत			
1	उपभोग्य वस्तुएं			
2	ईंधन (मात्रा, दर और मूल्य - प्रत्येक ईंधन के लिए अलग से)			
	उपयोगिताएँ (मात्रा, दर और मूल्य - प्रत्येक उपयोगिता के लिए अलग से)			
	विद्युत			
	जल			
	कोई अन्य व्यय (निर्दिष्ट किया जाए)			
	उप-योग (क)			
ख	अचल/ अर्द्ध परिवर्तनीय लागत			
1	वेतन और मजदूरी			
2	सामान्य प्रशासन			
3	मरम्मत और रखरखाव			
4	कोई अन्य व्यय (निर्दिष्ट किया जाए)			
	उप-योग (ख)			
ग	बीमा			
	कुल (क + ख + ग)			
घ	विविध आय (घ)			
ड.	परिचालन लागत (क + ख + ग-घ)			

टिप्पणियाँ:

1. परिचालन लागत के प्रत्येक मद के लिए, संलग्न होने के लिए विस्तृत गणना
2. लागत के प्रत्येक तत्व के लिए सीजीडी (सिटी गेट स्टेशन सहित) और सीएनजी के लिए ऑनलाइन कंप्रेसर पर लागत के आवंटन/ विनियोग का आधार प्रदान करें।
3. लाभ और हानि खाते के साथ सुलह विवरण अलग से अनुलग्नक 1(घ)(ii) के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

**अनुलग्नक 1(घ)(ii)**  
**[विनियम 4 देखें]**

भौगोलिक क्षेत्र का नाम -----  
संस्था का नाम -----  
वित्तीय वर्ष -----

कर पूर्व लाभ के वित्तीय वर्ष-वार समायोजन के लिए प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में
1	कुल राजस्व	
क	- बिक्री (सभी कर सहित)	
ख	- गैस के परिवहन में सामान्य या संविदा मात्रा से राजस्व	
ग	- सीएनजी के परिवहन में सामान्य या संविदा मात्रा से राजस्व	
घ	-पीएंडएल खाते के अनुसार विनियमित और गैर-विनियमित गतिविधियों से विविध आय	
2	<b>खरीदी गई गैस की लागत (स्टॉक समायोजन के बाद)</b>	
3	<b>विनियमित गतिविधियों के लिए कुल परिचालन लागत (*)</b>	
क	उपभोग्य और रसायन	
ख	उपयोगिताएँ (बिजली, ईंधन और पानी)	
ग	वेतन और मजदूरी	
घ.	मरम्मत और रखरखाव	
ड.	अचल परिसंपत्तियों पर बीमा प्रीमियम	
च.	प्रशासनिक उपरिशीर्ष	
छ.	अन्य व्यय	
4	<b>गैर-विनियमित गतिविधियों पर कुल परिचालन, बिक्री एवं वितरण और वित्तीय लागत</b>	
5	उत्पाद शुल्क और वैट	
6	विनियमित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (विनियमों के अनुसार बही मूल्यहास बनाम परिकलित मूल्यहास में अंतर अलग से दर्शाया जाए)	
7	गैर-विनियमित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	
8	अनुसूची के अनुसार व्यय को छोड़कर (पूर्ण विवरण सहित)	
9	<b>लेखा-परीक्षित लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व लाभ (1-2-3-4-5-6-7-8)</b>	

(\*) विनियमित और गैर-विनियमित गतिविधियों के बीच सामान्य लागत के आवंटन का आधार विस्तृत गणना के साथ दर्शाया जाएगा। गैस और सीएनजी के परिवहन के लिए विनियमित गतिविधियों के भीतर सामान्य लागत के आवंटन का आधार, विस्तृत गणना के साथ दर्शाया जाए।

अनुलग्नक 1(ड.)  
[विनियम 4 देखें]

सीएनजी के लिए सीजीडी और ऑनलाइन कंप्रेसर हेतु पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस की मात्रा का विवरण

क्र.सं.		पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 1	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 3	कुल
1	सीएनजी (केजी)				
2	सीएनजी (एससीएम)				
3	सीएनजी (एमएमबीटीयू)				
4	पीएनजी- आवासीय (एससीएम)				
5	पीएनजी- आवासीय (एमएमबीटीयू)				
6	पीएनजी- वाणिज्यिक (एससीएम)				
7	पीएनजी- वाणिज्यिक (एमएमबीटीयू)				
8	पीएनजी- औद्योगिक (एससीएम)				
9	पीएनजी- औद्योगिक (एमएमबीटीयू)				
10	कुल मात्रा (एससीएम) (2+4+6+8)				
11	कुल मात्रा (एमएमबीटीयू) (3+5+7+9)				

टिप्पण: लेखा-परीक्षित लेखाओं सहित मात्रा समायोजन को अलग-अलग दर्शाया जाए।

**अनुलग्नक 1(च)**  
**[विनियम 4 देखें]**  
**सीजीडी की परिवहन दर के लिए गणना**

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	विवरण	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 1	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 3	कुल
क.	औसत नेट ब्लॉक (अनुलग्नक 1(क) + 1(ग) के कॉलम 12 से)				
ख.	कार्यशील पूंजी				
ग.	निवेशित पूंजी (क + ख)				
घ.	प्रतिलाभ की दर				
घ1.	कर पश्चात् दर	12%	12%	12%	
घ2.	कॉर्पोरेट आकलन के लिए आयकर की नाममात्र दर				
घ3.	प्रतिलाभ की कर-पूर्व दर = 12% / (1-घ2)				
ड.	प्रतिलाभ = (ग * घ3)				
च.	वर्ष के दौरान मूल्यहास (अनुलग्नक 1(क) + 1(ग)) के कॉलम 8 से)				
छ.	परिचालन व्यय (अनुलग्नक 1(घ) से)				
ज.	सेवा की लागत (ड.+च+छ)				
झ.	वार्षिक आय (एमएमबीटीयू में) \$ (अनुलग्नक 1(ड.) के क्र.सं.11 से)				
ञ.	परिवहन दर (आईएनआर/ एमएमबीटीयू) (ज*10 <sup>5</sup> /I)				

(\$) सीएनजी में संपीडित करने के लिए ऑनलाइन कंप्रेसरों को पाइपलाइन द्वारा की गई प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सहित।

टिप्पण: प्रारंभिक अवधि के लिए, सीजीडी के लिए परिवहन दर की गणना पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी जबकि बाद की अवधि के लिए सीजीडी की परिवहन दर की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी।

सीजीडी की वर्तमान और पूर्व परिवहन दर का सामंजस्य

विवरण	आईएनआर	कारण/ टिप्पणी
वर्तमान अवधि के लिए परिवहन दर (आईएनआर/ एमएमबीटीयू)		
परिवहन दर में सकारात्मक बदलाव का विवरण		
1.		



2. ....		
परिवहन दर में नकारात्मक भिन्नता का विवरण		
1.		
2.....		
पिछली अवधि के लिए परिवहन दर (आईएनआर/ एमएमबीटीयू)		

## अनुलग्नक 1(ख)

[देखें विनियम 4]

## सीएनजी की परिवहन दर की गणना

राशि दो दशमलव स्थानों के साथ लाख रुपए में

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 1	वित्तीय वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 3	कुल
क.	औसत निवल ब्लॉक (अनुलग्नक 1(ख) के कॉलम 12 से)				
ख.	कार्यशील पूंजी				
ग.	निवेशित पूंजी (क + ख)				
घ.	प्रतिलाभ की दर				
घ1.	कर पश्चात् दर	12%	12%	12%	
घ2.	कॉर्पोरेट आकलन के लिए आयकर की नाममात्र दर				
घ3.	प्रतिलाभ की कर-पूर्व दर = 12%/ (1-घ2)				
ड.	प्रतिलाभ = (ग * घ3)				
च.	वर्ष के दौरान मूल्यहास (अनुलग्नक 1(ख) के कॉलम 8 से)				
छ.	परिचालन व्यय (अनुलग्नक 1(घ) से)				
ज.	सेवा की लागत (ड.+च+छ)				
झ.	वार्षिक मात्रा# (किलोग्राम में) (अनुलग्नक 1(ड.) के क्र.सं.1 से)				
ञ	परिवहन दर (आईएनआर/ किलोग्राम) (ज*10 <sup>5</sup> /छ)				

(#) सीएनजी के लिए ऑनलाइन कम्प्रेसरों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

टिप्पण:

- संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी संस्था द्वारा अपने गैस के परिवहन के लिए सीजीडी नेटवर्क का उपयोग करने के साथ-साथ अपने सीएनजी स्टेशन(नों) के लिए अपनी गैस को संपीड़ित करने हेतु ऑनलाइन कम्प्रेसर सुविधाओं का उपयोग करने पर सीजीडी और सीएनजी दोनों की परिवहन दर का भुगतान करना होगा।।
- प्रारंभिक अवधि के लिए, सीएनजी के लिए परिवहन दर की गणना पिछले दो वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी, जबकि बाद की अवधि के लिए सीएनजी के लिए परिवहन दर की गणना पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी।

## सीएनजी की वर्तमान और पिछले परिवहन दर का सामंजस्य

विवरण	आईएनआर	कारण / टिप्पणी
वर्तमान अवधि के लिए परिवहन दर (आईएनआर/केजी)		
परिवहन दर में सकारात्मक बदलाव का विवरण		
1.		
2.....		
परिवहन दर में नकारात्मक भिन्नता का विवरण		
1.		
2.....		
पिछली अवधि के लिए परिवहन दर (आईएनआर/ केजी)		

**अनुलग्नक 1(ज)**  
**[विनियम 4 देखें]**

**वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र का प्रारूप**

1. मैं/ हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने ----- लिमिटेड [अधिकृत संस्था का नाम लिखें] अपने बही खातों और लागत लेखाओं की जांच कर ली है जो ----- वित्तीय वर्ष के लिए ----- [भौगोलिक क्षेत्र का सही नाम और विशिष्ट आईडी लिखें] के संबंध में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत संस्था है। मैंने/ हमने सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर के निर्धारण के लिए आवश्यक समीक्षात्मक और मात्रात्मक डेटा की समीक्षा की है जो बही खातों में उपलब्ध नहीं है। हम प्रमाणित करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न प्रारूप सं. अनुलग्नक 1(क) से 1(छ) को ऐसे बही खातों, लागत लेखाओं और तकनीकी और मात्रात्मक डेटा से सही रूप में लिया गया है तथा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार हैं।
2. ऊपर दिए गए पैरा 1 में उल्लिखित हमारी जांच और समीक्षा के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि संलग्नक 1(च) और अनुलग्नक 1(छ) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सीजीडी के लिए भारत औसत परिवहन दर की गणना रु..... प्रति एमएमबीटीयू और सीएनजी के लिए परिवहन दर रु...../कि.ग्रा. है -
  - (i) वित्त वर्ष.....से.....तक के कंपनी के लेखा परीक्षित लेखाओं, लागत लेखाओं, तकनीकी और मात्रात्मक डेटा से लिए गए वित्तीय, लागत, तकनीकी और मात्रात्मक के आधार पर; तथा
  - (ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी के लिए परिवहन दर और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में।
3. मैं/ हम आगे प्रमाणित करते हैं कि विभिन्न सीजीडी नेटवर्क तथा सीजीडी नेटवर्क के भीतर सीजीडी और सीएनजी गतिविधियों के लिए बुकिंग, विभाजन और पूंजी का आवंटन तथा प्रचालन लागत का आधार उचित, तर्कसंगत और सुसंगत है और लागत लेखांकन के सुदृढ़ सिद्धांतों के अनुरूप है।

फर्म का नाम  
 चार्टर्ड एकाउंटेंट  
 फर्म का रजिस्ट्रेशन नं.

मोहर सहित हस्ताक्षर  
 भागीदार चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम  
 सदस्यता सं.  
 यूडीआईएन: (विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या)  
 स्थान:  
 दिनांक:

## अनुलग्नक 2 [विनियम 4 देखें]

### सीजीडी और सीएनजी के लिए परिवहन दरों के निर्धारण में अचल परिसंपत्ति और उपचार की परिभाषा

सीजीडी नेटवर्क (कंप्रेशर्स और संबंधित उपकरणों सहित) में अचल संपत्तियों पर विचार करने का आधार निम्न मानदंडों के अनुसार होगा: -

- (1) सीजीडी नेटवर्क में एक अचल परिसंपत्ति एक मूर्त परिसंपत्ति है जिसमें उपयोगी परिचालन की आयु एक वर्ष से अधिक होती है तथा यह प्रतिभूतियों, सद्भावना, वर्तमान परिसंपत्तियों, बट्टे खाते में न लिखी गई संचित हानि, चल रहा कार्य, आदि में सीजीडी और सीएनजी के लिए परिवहन दरों के माध्यम से राजस्व के उत्पादन का अभिन्न भाग होता है, जो अचल संपत्ति नहीं हैं।
- (2) पुनर्मूल्यांकन या नुकसान के पूंजीकरण के कारण अचल परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। सीजीडी और सीएनजी के लिए परिवहन दरों के प्रारंभिक निर्धारण के समय मानी जाने वाली अचल परिसंपत्तियां प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) का हिस्सा होंगी, जो स्थिर होंगी और किसी भी अचल परिसंपत्ति में वृद्धि, सुधार, आशोधन, प्रतिस्थापन पर किए गए व्यय को ही आरएबी को अद्यतन करने के लिए विचार किया जाएगा। वर्ष-वार वृद्धि और विलोपन का विवरण ही अनुलग्नक-1 के तहत निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रदान किया जाना है।
- (3) चालू के रूप में घोषित अचल परिसंपत्ति, लेकिन जिसे सीजीडी नेटवर्क के प्रचालन में नहीं लगाया गया है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (4) सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों में लाइन-पैक की मात्रा का उपचार नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा:-
  - क) सीजीडी नेटवर्क में जब भी लाइन पैक के रूप में आवश्यक प्राकृतिक गैस की मात्रा का आकलन किया जाएगा, इन्हें सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के लिए प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा। नई पाइपलाइनों को जोड़ने के मामले में सीजीडी नेटवर्क, सीजीडी नेटवर्क में नई

पाइपलाइनों में जब भी लाइन पैक के रूप में आवश्यक प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा, इन्हें सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के लिए प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (ख) सीजीडी नेटवर्क में पाइपलाइनों में प्राकृतिक गैस के लाइन पैक मूल्य को गैर-मूल्यहास के रूप में अचल परिसंपत्ति माना जाएगा और यह परियोजना के पूरे आर्थिक जीवन में स्थिर रहेगा।
- (ग) सीजीडी नेटवर्क में लाइन-पैक की मात्रा का मूल्य पाइपलाइन(नों) के चालू होने के समय या नई पाइपलाइन के चालू होने के समय, जैसा भी मामला हो, सीजीएस स्टेशन पर प्राकृतिक गैस की औसत लागत से लाइन-पैक की मात्रा को गुणा करके निकाला जाएगा।

## अनुलग्नक 3

[विनियम 4 देखें]

परिवहन दरों की लागू अवधियां और उन लागू अवधियों के लिए संगत डेटा - उदाहरण:

प्रारंभिक अवधि के लिए दर निर्धारण						
सामान्य वाहक के रूप में घोषित सीजीडी संस्था	नवीनतम वित्तीय वर्ष जिसके लिए लेखा-परीक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं।	संगत दो वित्तीय वर्ष	संस्था द्वारा पीएनजीआरबी को परिवहन दरों की प्रस्तुति	पीएनजीआरबी द्वारा दरों की वेबहोस्टिंग	प्रारंभिक अवधि जिसके लिए दरें लागू हैं	माह की संख्या
अप्रैल, 2021	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20	30 सितंबर, 2021	31 दिसंबर, 2021	1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2025	39
मई, 2021	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20	31 अक्टूबर, 2021	31 जनवरी, 2022	1 फरवरी, 2022 से 31 मार्च 2025	38
जून, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	30 नवंबर, 2021	28 फरवरी, 2022	1 मार्च, 2022 से 31 मार्च 2025	37
जुलाई, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 दिसंबर, 2021	31 मार्च, 2022	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2025	36
अगस्त, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 जनवरी, 2022	30 अप्रैल, 2022	1 मई, 2022 से 31 मार्च 2025	35
सितंबर, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	28 फरवरी, 2022	31 मई, 2022	1 जून, 2022 से 31 मार्च 2025	34
अक्टूबर, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 मार्च, 2022	30 जून, 2022	1 जुलाई 2022 से 31 मार्च, 2025	33
नवंबर, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	30 अप्रैल, 2022	31 जुलाई, 2022	1 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2025	32
दिसंबर, 2021	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 मई, 2022	31 अगस्त, 2022	1 सितंबर, 2022 से 31 मार्च, 2025	31
जनवरी, 2022	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	30 जून, 2022	30 सितंबर, 2022	1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2025	30
फरवरी, 2022	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 जुलाई, 2022	31 अक्टूबर, 2022	1 नवंबर, 2022 से 31 मार्च, 2025	29
मार्च, 2022	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21	31 अगस्त, 2022	30 नवंबर, 2022	1 दिसंबर, 2023 से 31 मार्च, 2025	28

## 3 वर्षों के बाद की अवधि के लिए दर निर्धारण

संस्था द्वारा लेखा-परीक्षित आंकड़ों की उपलब्धता	नवीनतम वित्तीय वर्ष के उपलब्ध लेखा-परीक्षित आंकड़े	प्रासंगिक तीन वित्तीय वर्ष	संस्था द्वारा दरों की प्रस्तुति	पीएनजीआरबी द्वारा दरों की वेबहोस्टिंग	अवधि जिसके लिए दरें लागू हैं
1 जून, 2024	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24	31 अक्टूबर, 2024	31 जनवरी, 2025	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2028
1 जून, 2027	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27	31 अक्टूबर, 2027	31 जनवरी, 2028	1 अप्रैल, 2028 से 31 मार्च 2031

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./384/2020]

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> November, 2020

**F. No. PNGRB/COM/1-CGD Tariff (1)/2015 (P-2750)** — In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: —

**1. Short title and commencement:-**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:-**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);
  - (b) "authorised entity" shall have the meaning as defined in clause (d) of section 2 of the Act;
  - (c) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
  - (d) "entity" shall have the meaning as defined in clause (p) of section 2 of the Act;
  - (e) "Schedule" means the Schedule to these regulations;
  - (f) "transportation rate for CGD" shall have the meaning as defined in clause (ic) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
  - (g) "transportation rate for CNG" shall have the meaning as defined in clause (id) of sub-regulation (1) of regulation 2 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, such rules or regulations.

**3. Application:**

- (1) These regulations shall apply to an authorised entity for a geographical area declared as common carrier or contract carrier in terms of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020,-
  - (a) whose authorisation granted by the Central Government has been accepted under regulation 17 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008;
  - (b) which has been authorised under regulation 18 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008; and
  - (c) which has been authorised under section 16 of the Act in pursuance of the policy directive issued by the Central Government under section 42 of the Act;

*Provided* that these regulations shall apply, immediately on the date of their publication in the Official Gazette, to an entity which has not been granted exclusivity from the purview of common or contract carrier.

- (2) For the purposes of these regulations, the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG for CGD networks authorized under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

(Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 under bidding route shall be as discovered through bidding.

**4. Determination of transportation rate for CGD and transportation rate for CNG and webhosting of information:-**

- (1) An authorised entity to which these regulations apply shall, within five months from the last day of the month in which CGD network has been declared as a common carrier or contract carrier, submit the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG computed in accordance with the provisions specified in the schedule for the purpose of determination of such rates by the Board to be applicable during the initial period in accordance with sub-paragraph (1) of paragraph 6 of this Schedule.
- (2) An authorised entity to which these regulations apply shall, within seven months from the start of the financial year up to which the transportation rates have been determined by the Board, submit the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG computed in accordance with the provisions specified in the Schedule for the purpose of determination of such rates by the Board, to be applicable during the subsequent period in accordance with sub clause (1) of para 6 of the Schedule.
- (3) The authorised entity referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) shall, within the period specified therein, submit to the Board such transportation rates as computed by it along with interactive spreadsheet calculation model (including formulae), the duly filled in formats and the statutory auditors certificate as specified in attachment 1 to the Schedule.
- (4) Based on the submissions of transportation rates by the authorised entity, the Board shall publish a public notice on its website containing a public consultation document for stakeholders' consultation on computation of transportation rate for CGD and transportation rate for CNG along with interactive spreadsheet calculation model (including formulae) the duly filled in formats and the statutory auditors certificate as specified in attachment 1 to this Schedule.
- (5) Stakeholders may submit their comments in writing within fifteen days from the date of publishing the public notice on the website or such extended period as the Board may decide on a case to case basis. On the expiry of the period provided for stakeholders' comments, the Board shall forward the comments received to the authorised entity concerned for its review and to submit its response within fifteen days. The Board may, if it deems necessary, convene an open house meeting, inviting inter-alia the stakeholders who have submitted their comments and the authorised entity concerned for discussions. The Board shall after completing the aforesaid procedure and considering all the inputs so collected, determine, by order, the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG to be applicable during the period specified in sub-clause (1) of para 6 of the Schedule or such other period as may be ordered by the Board and publish the same on its web-site.

**5. Defaults:-**

Without prejudice to the applicability of other provisions of the Act or rules and other regulations made thereunder or any other law which may apply, any default in complying provisions of these regulations shall be liable for civil penalty under section 28 of the Act.

**6. Miscellaneous:-**

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

**7. Repeal:-**

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Regulations, 2008 is hereby repealed, except as respect things done or omitted to be done under so repealed regulations.



## Schedule

[See regulation 4]

### Methodology for determination of Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG (or Transportation Rates):

The authorised entity to which these regulations apply shall compute and submit the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in a CGD network based on the principles specified in this Schedule and attachments thereto, by considering the rate of return specified in para 2 of this Schedule, on normative level of capital employed plus the normative level of operating expenses on that CGD network. The expression “normative level” shall be with reference to a level, which is both reasonable and justified in terms of capital and operating expenditure required for efficiently laying, building, operating or expanding that CGD network.

#### 1. Cost and Financial Data:

- (1) The entity to which these regulations apply shall compute the weighted average transportation rates considering all technical, operating, financial and cost data of the CGD network based on the audited annual accounts and other technical details and data, for the latest two preceding financial years applicable for the initial period and thereafter considering the latest three preceding financial years for subsequent periods. Computation of such rates shall be certified by the statutory auditors of the authorised entity for latest applicable financial year, in the format specified in Attachment 1(h) to this Schedule.
- (2) The authorised entity shall prepare separate financial and cost statements in respect of each GA to which these regulations apply and get the same audited by its statutory auditors. The authorised entity shall maintain technical and quantitative data required for computation of the rates separately for each CGD network (including those to which these regulations do not apply) and also for each activity of the authorised entity. Booking, apportionment and allocation of indirect capital and revenue costs to different CGD networks (including those to which these regulations do not apply) and activities shall be carried out in a fair, reasonable and consistent manner, which shall be clearly stated by way of detailed notes.

#### 2. Methodology for determination of transportation rates:

- (1) The transportation rates shall be calculated based on the “Cost of Service” methodology<sup>1</sup> considering a normative post-tax rate of return of twelve percent on capital employed arrived at in the manner specified in para 3 below.
- (2) The pre-tax rate of return on capital employed shall be computed by grossing-up twelve percent rate of return by the nominal applicable rate of income tax for corporate assesses as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

Explanation- For removal of doubt, it is clarified that in case more than one nominal rates of income tax are available as an option to the authorised entity under the law relating to income tax for the time being in force, the lowest of such nominal rates of income tax shall be considered for the purpose of grossing-up the post-tax rate of return of twelve percent for computing pre-tax rate of return on capital employed

#### 3. Computation of Net Fixed Assets and Normative Working Capital:

- (1) The Net Fixed Assets in a CGD Network shall be determined separately for –
  - (a) the common infrastructure in the CGD network (that is to say consisting of the pipeline, if any, from the tap-off point in the natural gas pipeline up to the city gate station, city

<sup>1</sup> In Cost of Service methodology, a unit rate of compensation is determined based on operating cost, + depreciation + return on capital employed consisting of net fixed assets and normative working capital employed in a business.

- gate distribution network consisting of pipelines, district regulatory station and distribution related equipment and facilities, but excluding CNG compression and dispensation related equipment and facilities) as specified in Attachments 1(a) and 1(c) to this Schedule for determination of the transportation rate for CGD Network;
- (b) CNG compressors and equipment between inlet valve to discharge flange, as specified in Attachment 1(b) to this Schedule, required for compression of natural gas into CNG for dispensation in the CNG stations in the CGD network for determination of the transportation rate of CNG;
  - (c) treatment of an investment in the fixed asset shall be as per the basis indicated in Attachment 2 to this Schedule;
  - (d) refundable security deposit collected by the CGD entity from the domestic PNG consumers in accordance with the provisions of sub-regulation (1) of regulation 14 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities for Laying, Building, Operating or Expanding City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, which shall be netted off against the capital expenditure;
  - (e) refundable security deposit collected by CGD entities from non-domestic PNG consumers in accordance with the provisions of sub-regulation (2) of regulation 14 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities for Laying, Building, Operating or Expanding City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, which shall be netted off against the capital expenditure; and
  - (f) any non-refundable amount charged by the CGD entity from any PNG customer towards connectivity or equipment or installation charges, which shall be netted off from the capital expenditure or the revenue expenditure, as the case may be.
- (2) The Net Fixed Assets shall be equal to the Gross Fixed Assets less accumulated depreciation.
  - (3) The Gross Fixed Assets shall be equal to their actual historical cost of acquisition (including the cost of any subsequent replacement or improvement or modification but excluding the component of interest cost on loans capitalised) or that normatively assessed by the Board, whichever is lower, as per the following basis and principles<sup>2</sup> that may be considered as required to create an efficient and robust CGD infrastructure, namely:-
    - (a) capital costs in similar projects following the best project management principles and practices, which might have been incurred at the time when the CGD network was laid, built or expanded;
    - (b) appropriateness of the pipeline design and the operating philosophy with regards to maximum allowable operating pressure;
    - (c) optimisation of the equipment and facilities (online compressors for CNG compressors, metering systems, SCADA, fire-fighting equipments and like other equipment and facilities) required based on an assessment of the appropriate available technology;
    - (d) design parameters of the equipment, like, compressors for CNG;
    - (e) assessment of costs of major equipment in the CGD network - pipelines, online compressors, laying or building costs, project management consultancy, pre-operative expenditure and like other costs;
  - (4) Normative Working Capital shall be equal to thirty days of normative operating cost (excluding depreciation) and eighteen days' transportation rate receivables.

#### **4. Operating Costs and Depreciation:**

<sup>2</sup> The basis and principles identified herein are not exhaustive and may vary depending upon the specific CGD network under consideration.

- (1) **Operating costs**<sup>3</sup> required in the operation and maintenance of -
- (a) common infrastructure in the CGD network; and
- (b) compressor facilities for compressing natural gas into CNG,

shall be computed separately, for the determination of transportation rate for CGD and, for the determination of transportation rate for CNG, on an actual basis or based on a normative assessment by the Board, whichever is lower, over the following cost elements, namely: -

- (i) consumables;
- (ii) utilities (power, fuel and water);
- (iii) salaries and wages;
- (iv) repairs and maintenance;
- (v) insurance premia on fixed assets and on line-pack volume (excluding on the loss of profit);
- (vi) administrative overheads (to the extent not classifiable under sub-clauses (i) to (v), related and also commensurate to the level of operations);
- (vii) miscellaneous income (realisable from a fixed asset or out of an expense considered as an operating cost), if any, shall be netted out of the operating cost. Interest income, profit or loss on sale or transfer of any fixed or other asset or revenue income realised from transportation rates for CGD and CNG out of the usage of the facilities in the CGD network shall not be considered to be miscellaneous income.

(2) **Depreciation:**

Depreciation on fixed shall be considered in the manner given below, namely:--

- (a) for pipelines, that is to say that depreciation shall be considered based on useful life of 30 years on SLM basis with residual value of 5%. Where depreciation has been provided in the Audited Books of Accounts in any other manner, depreciation and the corresponding net fixed assets shall be re-casted while determining the transportation rates;
- (b) for CNG Compressors, that is to say that depreciation shall be considered based on useful life of 10 years on SLM basis with residual value of 5%. Where depreciation has been provided in the Audited Books of Accounts in any other manner, depreciation and the corresponding net fixed assets shall be re-casted while determining the transportation rates; and
- (c) for other assets, that is to say that depreciation shall be considered as per the Audited Books of Accounts.

Note:- Since the cost of land beyond the land for siting CNG compressor as per approved drawings (based on minimum statutory separation distance) and 15% additional land for related equipment and facilities is not considered in return on capital employed for determination of transportation rate for CNG, any land rentals or land lease charges for land beyond the land for siting CNG

<sup>3</sup> Operating costs are those which are necessary for a proper upkeep and maintenance of a tangible asset created for operation of the CGD network (including compressors for CNG) and does not include any financial cost, like, interest on loans, bad-debts, expenditure incurred in raising or servicing of capital or debenture or bond or debt, exchange variation on revenue or capital account due to any financing or on interest cost on any borrowing, sales promotion expenses, marketing expenses, advertisement expenses (except for inviting tenders in respect of included activities), donations, corporate social responsibility expenditure, penalties, fines or any cost associated with invocation of bank guarantee or letter of credit, but includes normal bank charges, bank guarantee charges, Letter of credit charges, application fee and bank charges for bid bond and performance bond required as per the terms of authorisation.

compressor as per approved drawings (based on minimum statutory separation distance) and 15% additional land for related equipment and facilities shall not be considered as an operating cost for the determination of the transportation rate for CNG.

**5. Volumes to be considered in determination of transportation rates:**

- (1) The volumes to be used as divisor for the purpose of determination of the unit transportation rate for CGD shall be equal to the actual volume of natural gas (including the volume of natural gas transported by pipelines for CNG) transported in the CGD network during the corresponding period.
- (2) The volumes to be used as divisor for the purpose of determination of the unit transportation rate for CNG shall be equal to actual volume of natural gas compressed as CNG during the corresponding period.

**6. Review period for transportation rates.**

- (1) Transportation rates for the initial period may be applicable for less than or more than three financial years depending upon the month during which the CGD network is declared as common carrier or contract carrier. For subsequent periods, the transportation rates shall be determined and be applicable for a period of three financial years immediately following the initial period. An illustration in this respect is given at Attachment 3 to this Schedule.
- (2) Notwithstanding anything contrary contained in these regulations, the Board may at anytime revise the transportation rates, including, but not limiting to, the following circumstances, namely:-
  - (i) changes in the applicable nominal rate of income tax used for grossing-up the rate of return on capital employed;
  - (ii) any unforeseen change in the parameters relating to determination of transportation rates including fixed asset or working capital, operating costs or volumes;
- (3) In such circumstances as specified in sub-paragraph (2), the Board may direct the authorised entity to compute and submit the transportation rates to the Board and the authorised entity shall carry out the direction of the Board accordingly and for such revision the provisions of sub-regulation (2) to sub-regulation (5) of regulation 4 shall apply *mutatis mutandis*.

**ATTACHMENT 1**  
[See regulation 4]

**FINANCIAL YEAR WISE SUMMARY OF GA For FIXED ASSETS AND DEPRECIATION**

Name of the Geographical Area ----- Name of the Entity ----- Financial Year -----

Amount in Rs. lakhs with two decimal places

Sl. No	Total Cost	Rate of Depreciation (%)	Gross Block at the start of the year	Addition or deletion during the year	Gross Block at the end of the year	Accumulated Depreciation at the start of the year	Depreciation during the year	Depreciation on assets deleted during the year	Accumulated Depreciation at the end of the year	Net Block at the start of year	Net Block at the end of year	Average Net Block for the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)+(8)-(9)	(11)=(4)-(7)	(12)=(6)-(10)	(13) = ((11)+(12))/2
a	City Gate Station [As per Attachment 1(a)]											
b	Online Compressors for CNG [as per Attachment 1(b)]											
c	City Gas Distribution [as per Attachment 1(c)]											
	TOTAL											
d	Common Assets (Full details to be given in a separate statement)*											
e	Non-Regulated Assets (Full details to be given in a separate statement)											
f	Total reconciled with Balance Sheet											

**Notes:** 1. Difference in depreciation as per the books of accounts and that as per the basis provided in these regulations to be reconciled separately.

2. (\*) Basis of Allocation of Common Assets between various CGD networks, regulated and non-regulated activities and within regulated activities for transportation rate of CGD and transportation rate for CNG shall be shown along-with detailed calculations.

**Attachment 1(a)**  
[see regulation 4]

**FINANCIAL YEAR WISE FIXED ASSETS AND DEPRECIATION – CITY GATE STATION**

Name of the Geographical Area ----- Name of the Entity ----- Financial Year -----

Amount in Rs. lakhs with two decimal places

Sl. No	Type of Assets (Depreciation rate wise)	Rate of Depreciation (%)	Gross Block at the start of the year	Gross Block addition or deletion during the year	Gross Block at the end of the year	Accumulated Depreciation at the start of the year	Depreciation during the year	Depreciation on assets deleted during the year	Accumulated Depreciation at the end of the year	Net Block at the start of the year	Net Block at the end of year	Average Net Block for the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)- (9)	(11)= (4)-(7)	(12)= (6)-(10)	(13)= ((11)+(12))/2
A	Land											
	Cost of Land (for siting the CGS only)											
	Area (in Sq Meter or Feet)											
	Rate of Land (Per Sq Meter or Feet)											
	Amount Item -A											
B	Building											
C	Plant and Machinery											
D	All Related Assets											
E	<b>Total (A + B + C + D)</b>											

**Notes:**

1. Accumulated depreciation and depreciation for the current financial year on assets other than land shall be calculated based on the audited annual accounts.
2. Full details shall be given for each asset in separate sheets.



**Notes:**

1. Compressor facilities to be considered shall include the online compressor and equipment between inlet valve to discharge flange.
2. Facilities beyond the discharge valve of the online compressor for CNG, booster compressors in CNG stations and land beyond the land for siting online compressor as per approved drawings (based on minimum statutory separation distance) and 15% additional land for related equipment and facilities shall not be considered for return on capital employed in the determination of transportation rate for CNG.
3. The above cost is to be considered for return on capital employed in the determination of transportation rate for CNG.
4. Accumulated depreciation and depreciation for the current financial year on compressors shall be calculated considering useful life of 10 years on SLM basis with residual value of 5%.
5. Accumulated depreciation and depreciation for the current financial year on assets other than land and compressors shall be calculated based on the audited annual accounts.
6. Full details shall be given for each asset in separate sheets.



**Attachment 1(c)**  
[see regulation 4]

**FINANCIAL YEAR WISE FIXED ASSETS AND DEPRECIATION- CITY GAS DISTRIBUTION**

Name of the Geographical Area ----- Name of the Entity ----- Financial Year -----

Amount in Rs. lakhs with two decimal places

Sl. No	Type of Assets (Depreciation rate wise)	Rate of Depreciation (%)	Gross Block at the start of the year	Gross Block addition or deletion during the year	Gross Block at the end of the year	Accumulated Depreciation at the start of the year	Depreciation during the year	Depreciation on assets deleted during the year	Accumulated Depreciation at the end of the year	Net Block at the start of the year	Net Block at the end of year	Average Net Block for the year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)=(4)-(7)	(12)=(6)-(10)	(13)=((11)+(12))/2
<b>A</b>	<b>Equipment</b>											
1	Pipelines											
2	Cathodic Protection											
3	SCADA											
4	OFC, Telecom and Tele-supervisory system											
5	All Related Assets (details to be given)											
	Sub-total – A											
<b>B</b>	<b>Right of way or Right of use</b>											
<b>C</b>	<b>Land</b>											
<b>D</b>	<b>Line Pack</b>											
<b>E</b>	<b>All Related Assets (details to be given)</b>											
	<b>Total (A+B+C+D+E)</b>											

**Note:**

1. Pipelines include pipelines for transportation of natural gas to Online Compressor for CNG.
2. Accumulated Depreciation on Pipelines to be calculated considering useful life of 30 years on SLM basis with residual value of 5%.

**Attachment 1(d)(i)**  
**[See regulation 4]**

**Format of Financial Year-wise Operating Cost**

Name of the Geographical Area -----

Name of the Entity -----

Financial Year -----

Amount in Rs. Lakhs with two decimal places

Sr.No.	Description of cost elements	CGD (including City Gate station)	Online compressor for CNG	Total
A	Variable Cost			
1	Consumables			
2	Fuel (quantity, rate and value - separately for each fuel)			
	Utilities (quantity, rate and value – separately for each utility)			
	Power			
	Water			
	Any other Expenses (to be specified)			
	Sub-total (A)			
B	Fixed or Semi Variable Cost			
1	Salary and Wages			
2	General Administration			
3	Repairs and Maintenance			
4	Any other expenses (to be specified)			
	Sub-total (B)			
C	Insurance			
	Total (A+B+C)			
D	Miscellaneous Income (D)			
E	Operating Cost (A+B+C-D)			

**Notes:**

- For each item of operating cost, detailed calculation to be attached
- Provide basis of allocation or apportionment of costs over CGD (including City Gate station) and online compressor for CNG for each element of cost.
- Reconciliation Statement with Profit and Loss account may be separately provided as per Attachment 1(d)(ii).

<b>Attachment 1(d)(ii)</b> <b>[see regulation 4]</b>		
<b>Name of the Geographical Area -----</b>		
<b>Name of the Entity -----</b>		
<b>Financial Year -----</b>		
<b>FORMAT FOR FINANCIAL YEAR-WISE RECONCILIATION OF PROFIT BEFORE TAX</b>		
<b>Sr. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Amount in Rs. Lakhs with two decimal places</b>
<b>1</b>	<b>Total Revenues</b>	
a	-Sales (including all taxes)	
b	-Revenue from Common or Contract Volumes in Transportation of Gas	
c	-Revenue from Common or Contract Volumes in Transportation of CNG	
d	-Miscellaneous Income out of Regulated & Non-Regulated Activities as per P&L Account	
<b>2</b>	<b>Cost of Gas Purchased (after stock adjustments)</b>	
<b>3</b>	<b>Total Operating cost for Regulated Activities (*)</b>	
a	Consumables and Chemicals	
b	Utilities- (Power, Fuel and Water)	
c	Salaries and Wages	
d	Repair and Maintenance	
e	Insurance Premia on Fixed Assets	
f	Administrative Overheads	
g	Other Expenses	
<b>4</b>	<b>Total Operating, Selling and Distribution and Financial Costs on Non-Regulated Activities</b>	
5	Excise Duty and VAT	
6	Depreciation on Regulated Assets (Difference in book depreciation vs calculated depreciation as per Regulations may be shown separately)	
7	Depreciation on Non-Regulated Assets	
8	Excluded expenses as per Schedule (with full details)	
<b>9</b>	<b>Profit before Tax as per Audited Profit and Loss Account (1-2-3-4-5-6-7-8)</b>	

(\*) Basis of Allocation of Common Costs between Regulated and Non-Regulated Activities shall be indicated along-with detailed calculations. Basis of Allocation of Common Costs within Regulated Activities for Transportation of Gas and CNG to be indicated along-with detailed calculations.

**Attachment 1(e)**  
[see regulation 4]

**Details of Volumes of Natural Gas Transported in Pipeline for CGD and Online Compressor for  
CNG**

<b>Sl. No.</b>		<b>Preceding Financial Year 1</b>	<b>Preceding Financial Year 2</b>	<b>Preceding Financial Year 3</b>	<b>Total</b>
	CNG (KG)				
<b>2</b>	CNG (SCM)				
<b>3</b>	CNG (MMBtu)				
<b>4</b>	PNG- Residential (SCM)				
<b>5</b>	PNG- Residential (MMBtu)				
<b>6</b>	PNG- Commercial (SCM)				
<b>7</b>	PNG- Commercial (MMBtu)				
<b>8</b>	PNG- Industrial (SCM)				
<b>9</b>	PNG- Industrial (MMBtu)				
<b>10</b>	Total Volumes (SCM) (2+4+6+8)				
<b>11</b>	Total Volumes (MMBtu) (3+5+7+9)				

Note: Volumes Reconciliation with Audited Accounts to be provided separately.

**Attachment 1(f)**  
**[see regulation 4]**  
**Calculations for Transportation Rate of CGD**

**Amount in Rs. Lakhs with two decimal places**

Sl. No.	Particular	Preceding Financial Year 1	Preceding Financial Year 2	Preceding Financial Year3	Total
<b>A.</b>	Average Net Block (From Column 12 of Attachments 1(a) + 1(c))				
<b>B.</b>	Working Capital				
<b>C.</b>	Capital Employed (A+B)				
<b>D.</b>	<b>Rate of Return</b>				
<b>D1.</b>	Post-tax rate	12%	12%	12%	
<b>D2.</b>	Nominal rate of income tax for corporate assesses				
<b>D3.</b>	Pre-tax rate of return = 12%/(1-D2)				
<b>E.</b>	Return = (C * D3)				
<b>F.</b>	Depreciation during the Year (From Column 8 of Attachments 1(a) + 1(c))				
<b>G.</b>	Operating Expenditure (From Attachment 1(d))				
<b>H.</b>	Cost of Service E+F+G)				
<b>I.</b>	Annual Volume (in MMBTU) \$ (From Sl. No. 11 of Attachment 1(e))				
<b>J.</b>	Transportation Rate (INR/ MMBTU) (H*10 <sup>5</sup> /I)				

(\$) including supply of natural gas by pipeline to online compressors for compressing into CNG.

Note: For initial period, transportation rate for CGD shall be computed based on preceding two financial years data whereas for subsequent periods transportation rate for CGD shall be computed based on preceding three financial years data.

**Reconciliation of Current and Previous Transportation Rate of CGD**

Particulars	INR	Reasons /Remarks
Transportation Rate (INR or MMBTU) for the current period		
Details for positive variation in Transportation Rate		
<b>1.</b>		
<b>2. ....</b>		
<b>Details for negative variation in Transportation Rate</b>		
<b>1.</b>		
<b>2.....</b>		
Transportation Rate (INR or MMBTU) for the previous period		

**Attachment 1(g)**  
**[See regulation 4]**  
**Calculations for Transportation Rate of CNG**  
**Amount in Rs. Lakhs with two decimal places**

Sl. No.	Particular	Financial Year 1	Financial Year 2	Financial Year3	Total
A.	Average Net Block (From Column 12 of Attachment 1(b))				
B.	Working Capital				
C.	Capital Employed (A+B)				
D.	Rate of Return				
D1.	Post-tax rate	12%	12%	12%	
D2.	Nominal rate of income tax for corporate assesses				
D3	Pre-tax rate of return = $12\% / (1 - D2)$				
E	Return = $(C * D3)$				
F	Depreciation during the Year (From Column 8 of Attachment 1(b))				
G	Operating Expenditure (From Attachment 1(d))				
H	Cost of Service (G) = $(E + F + G)$				
I	Annual Volume <sup>#</sup> (in Kilogram) (From Sl. No. 1 of Attachment 1(e))				
J	Transportation Rate (INR/Kilogram) $(G * 10^5 / H)$				

(<sup>#</sup>) Supply of natural gas to online compressors for CNG

**Note:**

1. For removal of doubt, it is clarified that any entity using the CGD network for transportation of its gas as well as using online compressor facilities for compressing its gas for its CNG station(s) shall have to pay both transportation rate for CGD as well as transportation rate for CNG.

2. For initial period, transportation rate for CNG shall be computed based on preceding two financial years data whereas for subsequent periods transportation rate for CNG shall be computed based on preceding three financial years data.

**Reconciliation of Current and Previous Transportation Rate of CNG**

Particulars	INR	Reasons or Remarks
Transportation Rate (INR or KG) for the current period		
<b>Details for positive variation in Transportation Rate</b>		
1.		
2.....		
<b>Details for negative variation in Transportation Rate</b>		
1.		
2.....		
Transportation Rate (INR/KG) for the previous period		

**Attachment 1(h)**  
**[see regulation 4]**  
**Format of Statutory Auditor's Certificate**

1. I/ we certify that I/ we have examined the books of accounts and cost accounts of ----- Limited [insert the name of the authorised entity] which is the authorised entity to lay, build, operate or expand city or local natural gas distribution network of ----- [insert the exact name and unique id. of the geographical area] in respect of ----- financial years. I/we have reviewed technical and quantitative data required for determination of the Transportation Rate for CGD and Transportation Rate for CNG to the extent not available in the books of accounts. We certify that Format nos. Attachment 1 and Attachments 1(a) to 1(g) to the Schedule attached with this certificate have been correctly drawn from such books of accounts, cost accounts, and technical and quantitative data and are in accordance with the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation rate for CGD and Transportation rate for CNG) Regulations, 2020.

2. Based on our examination and review as stated in paragraph 1 above, we certify that the calculations for unit Weighted Average Transportation Rate for CGD of Rs....per MMBTU and Transportation Rate for CNG of Rs.../Kg as per the format given in Attachment 1(f) to the Schedule and Attachment 1(g) to the Schedule respectively, are-

- (i) based on the financial, cost, technical and quantitative data extracted from the audited accounts, cost accounts, technical and quantitative data of the company for the financial years ..... to ..... ; and
- (ii) in compliance with the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Transportation rate for CGD and Transportation rate for CNG) Regulations, 2020.

3. I/ We further certify that the basis of booking, apportionment and allocation of capital and operating cost to various activities of the company, to various CGD networks and to CGD and CNG activities within a CGD network is fair, reasonable and consistent and are in accordance with sound principles of cost accounting.

Name of the Firm  
Chartered Accountant  
Firm's Registration No

Sign with Seal  
Name of the Partner Chartered Accountant  
Membership No.  
UDIN: (Unique Document Identification Number)  
Place:  
Date:

**Attachment 2**  
**[see regulation 4]**

**Definition of a fixed asset and treatment in the determination of transportation rates for CGD and CNG**

The basis of considering fixed assets in a CGD network (including compressors and related equipments) shall be as per the following norms, namely:-

- (1) A fixed asset in a CGD network is a tangible asset having a useful operating life of more than one year and is integral to the generation of revenues through transportation rates for CGD and CNG. Investment in securities, goodwill, current assets, accumulated loss not written-off, work-in-progress and like other matters are not fixed assets.
- (2) Any change in the historical cost of the fixed asset due to revaluation or capitalisation of losses shall not be considered. The fixed assets considered at the time of initial fixation of transportation rates for CGD and CNG shall constitute the opening Regulatory Asset Base (RAB) which shall be frozen and only the cost incurred in additions, improvements, modification, replacement of any fixed asset or deletions thereof shall be considered for updating such Regulatory Asset Base (RAB). Details of additions and deletions year-wise have to be provided in the formats specified under Attachment-1 to this Schedule.
- (3) Fixed asset declared as commissioned but not deployed in operations of the CGD network shall not be considered.
- (4) Treatment of line-pack volume in pipelines in a CGD network shall be as per the procedure indicated below, namely:-
  - (a) assessment of the volume of natural gas required as Line pack in the pipelines as and when commissioned in the CGD network shall be as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards. In case of addition of new pipelines in CGD network, assessment of the additional volume of natural gas required as line pack in the new pipelines as and when commissioned in the CGD network, which shall be as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards;
  - (b) the line pack value of natural gas in pipelines in a CGD network shall be considered as a non-depreciating fixed asset and shall remain fixed over the economic life of the project; and
  - (c) the value of the line-pack volume shall be derived by multiplying the volume of line-pack by the average cost of natural gas at the CGS station at the time of commissioning of the pipeline(s) or at the time of commissioning of new pipeline in the CGD network, as the case may be.



**Attachment 3**  
**[see regulation 4]**

**Applicable periods of transportation rates and the data relevant for those applicable periods –Illustration**

<b>Rate Determination for Initial Period</b>						
<b>CGD Entity declared as Common carrier during</b>	<b>Latest Financial Year for which Audited Data are Available</b>	<b>Relevant two Financial years</b>	<b>Submission of Transportation Rates by Entity to PNGRB by</b>	<b>Webhosting of Rates by PNGRB by</b>	<b>Initial period for which rates are applicable</b>	<b>Nos. of months</b>
April, 2021	FY 2019-20	FY 2018-19 and FY 2019-20	30th September, 2021	31st December, 2021	1st January, 2022 to 31st March 2025	39
May, 2021	FY 2019-20	FY 2018-19 and FY 2019-20	31st October, 2021	31st January, 2022	1st February, 2022 to 31st March 2025	38
June, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	30th November, 2021	28th February, 2022	1st March, 2022 to 31st March 2025	37
July, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st December, 2021	31st March, 2022	1st April, 2022 to 31st March 2025	36
August, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st January, 2022	30th April, 2022	1st May, 2022 to 31st March 2025	35
September, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	28th February, 2022	31st May, 2022	1st June, 2022 to 31st March 2025	34
October, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st March, 2022	30th June, 2022	1st July 2022 to 31st March, 2025	33
November, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	30th April, 2022	31st July, 2022	1st August, 2022 to 31st March, 2025	32
December, 2021	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st May, 2022	31st August, 2022	1st September, 2022 to 31st March, 2025	31
January, 2022	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	30th June, 2022	30th September, 2022	1st October, 2022 to 31st March, 2025	30
February, 2022	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st July, 2022	31st October, 2022	1st November, 2022 to 31st March, 2025	29
March, 2022	FY 2020-21	FY 2019-20 and FY 2020-21	31st August, 2022	30th November, 2022	1st December, 2023 to 31st March, 2025	28

**Rate Determination for Subsequent Periods of 3 years**

<b>Availability of audited data to entity by</b>	<b>Latest Financial year Audited Data Available</b>	<b>Relevant three Financial years</b>	<b>Submission of Rates by Entity by</b>	<b>Webhosting of Rates by PNGRB</b>	<b>Period for which rates are applicable</b>
1st June, 2024	FY 2023-24	FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24	31st October,2024	31st January,2025	1st April, 2025 to 31st March 2028
1st June , 2027	FY 2026-27	FY 2024-25, FY 2025-26 and FY 2026-27	31st October,2027	31st January,2028	1st April, 2028 to 31st March 2031

VANDANA SHARMA, Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty./384/2020]